

## प्रारूप-6

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## -: आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित शिक्षा प्रसार अधिकारी (प्राध्यापक एवं समकक्ष) जो कि उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु सम्पूर्ण कर लेने पर नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 में अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1	रामप्रकाश गालव	राउमावि, धौलपुर	धौलपुर	26.04.1960	30.04.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शिक्षा प्रसार अधिकारी के विरुद्ध आदेश जारी होने की दिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/एसडीआई/से.नि./2020  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक :- 22-6-2020

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिल शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, संभाग।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक से प्रारूप-6 के आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावे।
5. संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एंनलिसट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)